न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र 16/2018

1 सल्ला पुत्र श्री हजारी जाति रेगर निवासी बिजयनगर जिला अजमेर ।

.... प्रार्थी

बनाम

1 श्री घीसू पुत्र श्री शंभू गुर्जर जाति गुर्जर निवासी केसरपुरा तहसील बिजयनगर ।
2 श्री नारू पुत्र श्री हजारी जाति भील निवासी केसरपुरा तहसील बिजयनगर ।
2 श्री गोपाल पुत्र श्री लादु जाति रेगर निवासी बिजयनगर जिला अजमेर ।

............अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम केसरपुरा पटवार मंडल खूटियां तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 347 रकबा 03–04–00 बिस्वा उनकी खुदकाश्त से संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम केसरपुरा पटवार मंडल खूटियां की जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 190 में ख0 न0 347 रकबा 03–04–00 बिस्वा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम केसरपुरा स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 347 रकबा 03–04–00 बिस्वा में मौका कमीश्नर रु 1500/– कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 8/5/18 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 15:49:24 IST
Reason: SelfAttested